राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांकः प.3(50)नविवि / 3 / 2012 जयपुर, दिनांक : 27 MAR 2025

आदेश

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम–2012 के नियम 11 के उप नियम (2) तथा नियम 19 के उप नियम (2) प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार निर्देश जारी करती है कि निम्नांकित तालिका में वर्णित स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा उनके सम्मुख दर्शाये गयी सीमा से अधिक क्षेत्रफल के लिए पट्टा विलेख राज्य सरकार की स्वीकृति के पश्चात् जारी किये जायेगें:–

तालिका

स्थानीय प्राधिकारी	आवासीय	गैर आवासीय
समस्त विकास प्राधिकरण एवं विकास प्राधिकरण मुख्यालय के शहर के नगर निगम / नगर परिषद्	25,000 वर्गमीटर	10,000 वर्गमीटर
समस्त नगर विकास न्यास एवं नगर विकास न्यास मुख्यालय के शहर के नगर निगम / नगर परिषद्	10,000 वर्गमीटर	5,000 वर्गमीटर
अन्य समस्त स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा	5,000 वर्गमीटर	2,500 वर्गमीटर

नोटः– औद्योगिक प्रयोजन हेतु विभागीय आदेश दिनांक 21.09.2012 के अनुसार जिसके अनुसार 10000 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक की सक्षमता स्थानीय प्राधिकारी तथा 10000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल हेतु आदेश दिनांक 02.09.2024 के अनुसार स्थानीय प्राधिकारियों के क्षेत्र में गठित समिति के स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

27/3/25
(रवि विजय)
शासन उप सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास, आवासन विभाग, जयपुर।

3. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. आयुक्त/सचिव, समस्त विकास प्राधिकरण।
6. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार, जयपुर।
8. निदेशक, स्थानीय निकाय, राजस्थान, जयपुर।
9. सचिव, समस्त नगर विकास न्यास, राजस्थान।
10. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका मण्डल, राजस्थान।
11. अति0 निदेशक, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

27/3/25

शासन उप सचिव–प्रथम